





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी।

अनवान:- मनीराम वनाम औमप्रकाश आदि

अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.ए.

वाद संख्या...../2025

क्र. नम्बर	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हो
7.2025	<p>वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता ने न्यायालय में वाद-पत्र अंतर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.ए. पेश किया। वाद पत्र में सरिस्ता रिपोर्ट हो चुकी है। मुताबिक सरिस्ता रिपोर्ट वाद पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,53,188 आर.टी.ए. के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी किये जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 01/08/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       (सविनोरायण आर ए एस)                      उपखण्ड अधिकारी एवम्                      पदेन सहायक कलक्टर                      टिब्बी                 </p> <p>11/8/25 पत्रावली पेशी में की गई PO साहब बाहर पधारें है/अवकाश पर है/ अन्य कार्य में व्यस्त है। तब के कारण पत्रावली दिनांक 08/09/25 को पेश हो।</p> <p>23/9/25 पत्रावली पेशी में की गई PO साहब बाहर पधारें है/अवकाश पर है/ अन्य कार्य में व्यस्त है। तब के कारण पत्रावली दिनांक 16/11/25 को पेश हो।</p> <p>24/10/25 प्रार्थना पत्र वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गयी, वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि छस्तगत प्रकरण में शफीनामा हो जाने पर डकत वाड वर्तमान स्तर पर ही विझे स्वादिप किये जाने का निवेदन किया, प्रार्थना पत्र</p>	<p>Not Recd</p> <p></p> <p></p> <p></p>

स्वीडर डिया जाता है हस्तगत वाइ  
वर्तमान स्तर पर ही विद्वा ख्वारिज डिया  
जाता है पञ्जावती निम्न नम्बर से कुम  
की जाकर बाद तक्कीम हाखिल दफ्तर  
है।

अस  
(सत्यनारायण RAS)